स्थगन प्रार्थना पत्र सं. 35/2016

24-5-18	पत्रावली मूल निगरानी प्रकरण के साथ-साथ पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। चूंकि मूल निगरानी प्रार्थना-पत्र आज निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में, यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)